रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2065] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 19, 2016/श्रावण 28, 1938
No. 2065] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 19, 2016/SRAVANA 28, 1938

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2016

आय-कर

का.आ. 2747(अ).– केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 206 ग की उपधारा (1ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (इक्कीसवाँ संशोधन) नियम, 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 37गक के पश्चात् और नियम 37घ से पहले निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"क्रेताओं का/के वर्ग जिन्हें धारा 206 ग की उपधारा (1घ) के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

37गख.(1) किसी माल के विक्रय (सोना, चांदी या आभूषण से भिन्न) अथवा किसी सेवा के प्रदान करने के संबंध में धारा 206ग की उपधारा (1घ) के उपबंध निम्नलिखित वर्ग या वर्गों के क्रेताओं को लागू नहीं होंगे, अर्थात् :

(i) सरकार ;

(ii) विदेशी राज्य के राजदूतावास, वाणिज्यिक दूतावास, उच्चायुक्त, दूतावास और व्यापार प्रतिनिधित्व ;

(iii) संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 के अधीन अधिसूचित संस्थाएं ।"

[अधिसूचना सं.75 /2016/फा.सं.370142/19/2016-टी पी एल]

पीताम्बर दास, निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969 (अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और आय-कर (बीसवां संशोधन) नियम, 2016 ; अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2671(अ) तारीख 09.08.2016 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया ।